बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–91/2022–......... /पटना–15, दिनांक–.....................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–958(6), दिनांक–30.08.2022 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्यूनिटी डेवलपमेंट, नरसिंहपुर भाया रमना पी0ओ0, थाना–मुशहरी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम–धनहरा, पोस्ट–मानिक चौक, जिला–सीतामढ़ी–843323 को एम0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–260(6), दिनांक–17.02.2023 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 अशोक कुमार चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के पत्रांक–89/अ0नि0को0, दिनांक–22.02.2023 द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3–विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम–धनहरा, पोस्ट–मानिक चौक, जिला–सीतामढ़ी–843323 को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठयक्रम में (1) मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग -20 (बीस) (2) पीडियाट्रिक नर्सिंग-10 (दस) (3) ओ0बी0जी0 मिडवाइफरी नर्सिंग -15 (पन्द्रह) (4) साईक्रियाट्रिक नर्सिंग-05 (पाँच) (5) कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग-10 (दस) कुल–60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

क्रमश

ज्ञापांक : 6/एन0—08—91/2022.........377 (6)   पटना दिनांक 20/02/2024

प्रतिलिपिः— सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0—2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज—01, नई दिल्ली—110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना—800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सचिव, नूतन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम—धनहरा, पोस्ट—मानिक चौक, जिला—सीतामढ़ी—843323 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/24

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।